

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

24 जनवरी, 2022

पर्यावरणीय लागत का आकलन, परियोजनाओं का लाभ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक 'स्टार-रेटिंग सिस्टम' को लागू करने के एक कदम ने इसके एक आधिकारिक विज्ञप्ति के सार्वजनिक होने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है।

इस योजना के तहत, राज्य स्तरीय पर्यावरण समितियां जो अपने संभावित पर्यावरणीय जोखिम पर औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करती हैं, उन्हें "पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही" के लिए बिंदुओं के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह विचार इस महीने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हुआ, ताकि सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की व्यापक प्रतिबद्धता को सुगम बनाया जा सके। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) यह सुनिश्चित करने की आधारशिला है कि बुनियादी ढांचे के विकास की पारिस्थितिक लागत न्यूनतम है।

एक निश्चित आकार से ऊपर और प्राकृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता के साथ संभावित परियोजनाओं को पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जिसमें राज्य अधिकारी और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हों। परियोजनाएं जो और भी बड़ी हैं या जिनमें वन भूमि शामिल हैं- श्रेणी ए- को केंद्र द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। SEIAA परियोजनाएं भवन और निर्माण, लघु खनन, लघु उद्योग परियोजनाओं सहित अनुमोदन के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं बनाती हैं, और इन्हें 'कम प्रदूषणकारी' माना जाता है।

प्रस्तावित स्टार रेटिंग प्रणाली राज्यों को "रैंक" और "प्रोत्साहित" करने के लिए है कि वे कितनी जल्दी और "कुशलतापूर्वक" पर्यावरण मंजूरी दे सकते हैं। यह "पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही" पर SEIAA को रेट करने के लिए सात मानदंड बताता है। उदाहरण के लिए, 7 के पैमाने पर, एक SEIAA को 105 दिनों के भीतर की तुलना में 80 दिनों से कम समय में मंजूरी देने के लिए अधिक अंक मिलते हैं और अधिक के लिए कोई अंक नहीं मिलता है।

सात या अधिक के स्कोर को 'फाइव स्टार' का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि, आदेश को पढ़ने से यह आभास होता है कि राज्य, अधिक सितारों की तलाश में, पूरी तरह से मूल्यांकन सुनिश्चित करने के बजाय परियोजनाओं को तेजी से समाशोधन के लिए तार्किक रूप से तैयार होंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने आलोचना के जवाब में कहा है कि इरादा मंजूरी में तेजी लाने का नहीं है बल्कि निर्णय लेने की गति में तेजी लाने का है। यह तर्क देता है प्रत्येक प्रश्न के लिए फाइलें वापस भेजने के बजाय, सभी आपत्तियों को संकलित और एक ही बार में संबोधित किया जाना चाहिए।

जबकि त्वरित निर्णय लेने से सभी को लाभ होता है, वर्तमान में राज्य समितियों में बहुत कम स्वतंत्र विशेषज्ञ होने और निर्णय लेने को पर्यावरण विशेषज्ञों की तुलना में नौकरशाहों पर छोड़ दिया जाता है। उद्योगपतियों और राज्यों दोनों को परियोजनाओं से लाभ होता है और इसलिए, प्रवृत्ति हमेशा पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की होती है। कई उदाहरणों में, संभावित पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने के लिए साइट का दौरा महत्वपूर्ण है।

औद्योगिक परियोजनाओं के जोखिम और उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लाभों की गणना करना काफी कठिन है। आगे का रास्ता यह है कि व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों में सक्षम विशेषज्ञ हों जो बिना किसी डर या पक्षपात के मूल्यांकन कर सकें। इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई रैंकिंग की एक सूची बना देना कम से कम एक उचित तरीका नहीं माना जायेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा स्टार रैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है?
- (क) पर्यावरण मंत्रालय
- (ख) आई.टी. मंत्रालय
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय
- (घ) ऊर्जा मंत्रालय

Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Recently which Ministry of GOI has launched Star Ranking System?
- (a) Min.of Environment
- (b) Min.of I.T.
- (c) Min.of Electronics
- (d) Min.of Power

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. हाल ही में राज्यों में पर्यावरण मंजूरी देने हेतु प्रस्तावित स्टार रेटिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए, इसकी कमियों को भी दर्शाइये। (250 शब्द)
- Q. While Discussing the salient features of the recently proposed star rating system for environmental clearance in the states, also show its shortcomings. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।